उत्तर पश्चिम रेलवे

ई–निविदा सूचना

भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)–द्वितीय, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जोधपुर निम्नलिखित कार्य के लिए ई–निविदा (खुली निविदा सिगल स्टेज दोहरी पैकेट पद्धति) आमंत्रित करते है। 1. निविदा सूचना संख्या: DY CE/C-II-JU-EPC. 2. कार्य का नाम स्थान सहित: **Executive of Balance works for Major Redevelopment of Jodhpur Railway station of North Western Railway on Engineering procurement & Construction (EPC).** 3. कार्य की अनुमानित लागत: रु. **4692014371.64**। 4. जमा की जाने वाली बयाना राशि: रु. **93840300.00**। 5. ई–निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय: **16.09.2026 15.00 बजे तक**। 6. वेबसाईट का विवरण, जहां पर ई–निविदा देखी व भरी जा सकती हैं। www.ireps.gov.in. 7. कार्यालय ई–मेल का पता: dycec2jodhpur@gmail.com.

1197-MG/26

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

खोया पाया

दी शिवा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. जयपुर की गृह निर्माण योजना संख्या-5 खोले के हनुमानजी के सामने, दिल्ली रोड, जयपुर के प्लाट सं 60,61, 62 के मूल पट्टा नक्शा, व रसीद आदि गुम हो गए मिलने पर संपर्क करें रामजीलाल पुत्र कालूराम 9928277346

मेरे प्लाट नं. 2/15, जवाहर नगर, जयपुर का अलॉटमेंट लेटर, NOC लेटर, साईट प्लॉन, और ऑफिस आर्डर दिनांक 01.08.2026 को जवाहर नगर में कहीं गुम गये है मिलने पर सूचित करें: विजय कुमार सुखिजा 9414046505

मेरे भूखंड सं. G-39 जे.डी.ए. की योजना करधनी (गोविंदपुरा) कालवाड़ रोड जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन-पत्र और कब्ज़ा पत्र कही गुम हो गया है सूचित करे- राजेंद्र पाल सिंह मो. 9650465765

जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना रिंग रोड लखेसरा के प्लॉट नंबर 10/OB/20 का जेडीए से जारी ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर खो गया है मिलने पर सूचित करें। सतीश चंद्र मंगल मोबाइल- 94143360001

नाम परिवर्तन

JC-709206L Nb Sub राकेश कुमार गोदारा निवासी गोदारा का बास, भोड़की, झुंझुनू, राजस्थान अपने सर्विस रिकॉर्ड में पिता का नाम रामेश्वर गोदारा (Rameshwer Godara) से बदलकर रामेश्वर (Rameshwar) और जन्मतिथि 25.03.1965 से बदलकर 01.01.1952 करवा रहा हूँ। इसके लिए मैंने जयपुर ज़िला न्यायालय में 06.08.2026 को शपथपत्र दिया।

मैंनें अपनी पुत्री का नाम श्रद्धा जैन से बदल कर साक्षी जैन पुत्री श्री शरद कुमार जैन निवासः- B-401, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर, 302017 रख लिया है भविष्य में उसे साक्षी जैन (Sakshi Jain) के नाम से जाना पहचाना जावें।

मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम गलती से अरुण कुमार जैन दर्ज हो गया है, जबकि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम अरुण जैन है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अरुण जैन पुत्र श्री पदम चंद जैन, निवासी- 3 ड 23, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान) 302004 से ही जाना व पहचाना जावे।

I Kiran Bai legally wedded spouse of army no 2832009 Ex RFN Late Uggam Singh resident of 2168 raja shivdas ji ka rasta chaugan stadium ke samne gangauri bazar jaipur that i want to change my name from KIRAN BAI to KIRAN KANWAR vide affidavit dated 13 aug 26 sub divisional magistrate jaipur city south

I shimi legally wedded spouse of army no 1523414 SPR Late Ramesh singh resident of vpo antela tehsil viratnagar district jaipur that i want to change my name from SHIMI to SHIMI ALIAS SHIMBHU DEVI vide affidavit dated 14 aug 2026 before S D M viratnagar kotputli behror

I army no 2883908A Ex Hav Lila Ram resident of 100 pawan nagar niwaroo Road jhotwara jaipur that i want to change name of my dependent from SHIVANI to SHIVANI CHOUDHARY vide affidavit dated 10 aug2026 before sub divisional magistrate jaipur city north

I, Shanti Devi legally wedded spouse of Army No 2853733N Ex Rfn Late Mohan Singh resident of House No 237-B, A.K. Gopalan Nagar, Khatipura, Jhotwara, Jaipur that I want to change my name from SHANTI DEVI to SANTOSH KANWAR vide affidavit dated 10 Aug 2026 Sub Divisional Magistrate Jaipur City South.

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जयपुर के दुर्गा का बास गांव में अटल स्मृति वन का शुभारंभ

डॉ. सतीश पूनियाँ, दीया कुमारी, राव राजेन्द्र सिंह ने मातृशक्ति और युवाओं के साथ पौधे लगाये

- **एक दिन में 11 हजार पौधे लगाये**
- **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से देशभर में पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता बढ़ी है- डॉ. सतीश पूनियाँ**

जयपुर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जयपुर जिले की मुंडिया ग्राम पंचायत के दुर्गा का बास गांव में 'अटल स्मृति वन' का शुभारंभ किया गया, जो पूरे प्रदेश के एतिहासिक कार्यक्रमों में शामिल हुआ, जिसमें एक दिन में

मातृशक्ति व युवाओं ने 11 हजार पौधे लगाये गये, जो आमजन ने बड़ी भागीदारी निभाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा संदेश है। पौधारोपण के इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान से राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियाँ, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह, जयपुर जिला प्रमुख रमा चौपड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, सांसद डॉ. सतीश पूनियाँ, सांसद राव राजेन्द्र सिंह ने 'अटल स्मृति वन' का शुभारंभ किया।

अटल स्मृति वन के शुभारंभ अवसर पर जयपुर के दुर्गा का बास गांव में 11 हजार पौधों का रोपण किया गया। विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस अनूठी पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार तथा भावी पीढ़ियों को प्रकृति संरक्षण के प्रति निरंतर जागरूक करना है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. सतीश पूनियाँ ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राष्ट्रसेवा, सुशासन, संवेदनशीलता और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रेरणास्त्रोत रहा है।

वह एक युगपुरुष और विकासपुरुष थे । उनके नाम पर बनाया गया यह अटल स्मृति वन आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी स्मृतियों और विचारों को जीवंत रखने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देगा, पौधारोपण अभियान को केंद्र की मोदी सरकार एक बड़े मिशन के रूप में राजस्थान से लेकर देशभर में प्रतिबद्धता से करने में जुटी है, जिसमें माता बहन, युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो बड़ा सकारात्मक संदेश है। उन्होंने कहा कि 11 हजार पौधे लगाने का सिर्फ एक

कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ, हरिभरी भूमि और हरा–भरा पर्यावरण सुनिश्चित करने का संकल्प है, जो हम सबके लिए अनुकरणीय है अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और उनके राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जनभागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

कार्यक्रम में मौजूद मातृशक्ति, युवाओं, जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित नागरिकों ने पौधों के संरक्षण और उनकी नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। अटल स्मृति वन क्षेत्र में भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर डॉ. सतीश पूनियाँ ने पौधरोपण कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राष्ट्रसेवा, राष्ट्रप्रेम, संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की प्रेरणा देता है। उनके नाम पर विकसित किया जा रहा 'अटल स्मृति वन' पर्यावरण संरक्षण के साथ– साथ नई पीढ़ियों को प्रकृति से जोड़ने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों का संरक्षण और उनका वृक्ष के रूप में विकसित होना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण जनभागीदारी से ही प्रभावी रूप से संभव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पौधरोपण को संस्कार और सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाना चाहिए, जो हम सबका कर्तव्य है।

डॉ. पूनियाँ ने उपस्थित ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से देशभर में पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता बढ़ी है और ऐसे प्रयासों को गांव– ढाणी, शहर–कस्बों तक ले जाने की आवश्यकता है, जो मोदी सरकार और राजस्थान सरकार कर रही है, जिसमें हम सबकी जनभागीदारी मजबूती से बढ़ाने की आवश्यकता है।

बैठक आयोजित

जयपुर। कौशल, नियोजन एवं उद्यिमता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में राज्य कौशल एवं उद्यिमता समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य में युवाओं के कौशल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा उनके प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में राज्य के 41 जिलों में किए गए मैनपावर मांग–आपूर्ति, स्किल सेट मैपिंग एवं स्वरोजगार के लिए सरकार से अपेक्षित सहायता सहित 'स्किल गैप असेसमेंट' अध्ययन की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जिलावार एवं क्षेत्रवार कौशल मांग के अनुरूप तैयार किया जाए तथा स्थानीय उद्योगों से सीधे जोड़कर युवाओं को उद्योग की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

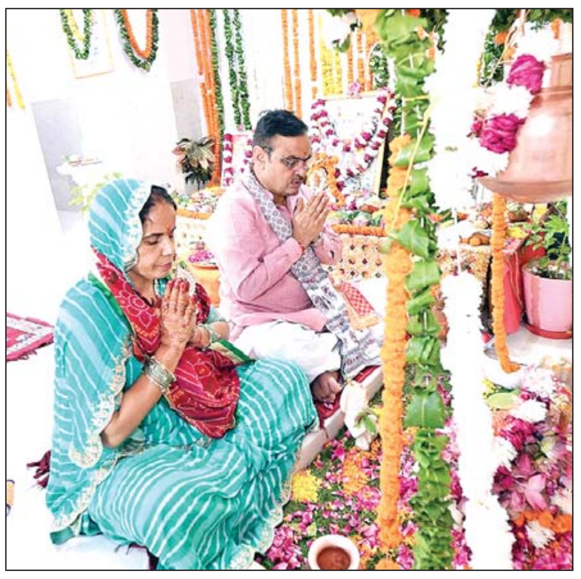

श्रावण मास के तीसरे सोमवार के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव का विधिवत अभिषेक कर पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने सपत्नीक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का अभिषेक किया और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की।

स्कूलों की जर्जर हालत सुधारने के बजाय सेंसरशिप लागू कर रही सरकार : जूली

जयपुर । राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए उठाए जा रहे विद्यालयों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर प्रतिबन्ध लगाने जैसे अलोकतांत्रिक कदमों की कड़े शब्दों में निंदा की है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में लगातार बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था, जर्जर स्कूल भवनों और मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसी विकराल समस्याओं का समाधान करने के बजाय अपनी आवाज उठाने वाले मासूम बच्चों और सच दिखाने वाले मीडिया से लड़ रही है। सरकार में व्याप्त डर का आलम यह है कि वह अपनी कमियों को उजागर होने से बचाने के लिए तानाशाही पूर्ण और जनविरोधी फैसले लागू कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हाल ही में जेन - अल्फा विवाद के दौरान 4-5 स्कूलों में हुए विरोध प्रदर्शनों से यह सरकार बुरी तरह घबरा चुकी है। इसी खौफ में आकर सरकार ने मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया है और मीडिया के स्कूल परिसरों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के मन में सबसे बड़ा डर मीडिया का ही है, क्योंकि अगर मीडिया अंदर जाएगी तो स्कूल परिसरों की बदहाली और सरकार की कमियों की पोल पूरे प्रदेश के सामने खुल जाएगी। प्रेस और मीडिया पर इस तरह से रोक लगाकर भाजपा सरकार अपनी तानाशाही मानसिकता और प्रशासनिक नाकामी को छिपाने का असफल प्रयास कर रही है।

टीकाराम जूली ने ध्यान दिलाया कि हाई कोर्ट ने भी सरकार को शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है और सरकार को अदालत में माफी मांगनी पड़ी है। हाई कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सरकार स्कूल के कमरों तक को ठीक कराने की स्थिति में नहीं है, तो वह पूरे राजस्थान का क्या करेगी। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि आज प्रदेश के 85,000 स्कूलों के कमरे पूरी तरह खराब पड़े हैं और लगभग 3,768 स्कूल जर्जर घोषित हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने एक भी नया भवन या कमरा बनाने की सुध नहीं ली है।

दुष्कर्म आरोपी सहित महिला तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम की दौलतपुरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्पेशल एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक महिला को 2.12 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़ा। इसके अलावा शांति भंग की आशंका में पांच लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर उन्हें पाबंद किया गया। पुलिस उपायुक्त (जयपुर पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस टीम ने दौलतपुरा थाने में दर्ज प्रकरण में वांछित आरोपी महेंद्र कुमार सैनी (20) निवासी सामोद हाल बदनपुरा चेतावाला रोड खोरा श्यामदास को गिरफ्तार किया।

कृषि विभाग में स्थापित होगा कृषि स्टैक आयुक्तालय

- **किसानों से संबंधित सभी योजनाओं में अनिवार्य होगी फार्मर आई डी**
- **किसान सम्मान निधि कृषि विभाग को हस्तांतरित करने की तैयारी**

जयपुर। राजस्थान में कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी, सुगम एवं लक्षित तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हाल ही में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित कृषि स्टैक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में कृषि स्टैक की प्रगति, किसान रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, उर्वरक वितरण व्यवस्था तथा किसान कल्याण योजनाओं के डिजिटलीकरण की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में कृषि विभाग, राजस्व विभाग, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सहकारिता, वित्त एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुख्य ज्ञान अधिकारी राजीव चावला भी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, कृषि ने बताया कि राज्य में अब तक 87.44 लाख किसानों का किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण पूरा हो चुका है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 96.95 प्रतिशत है। इनमें 49.46 लाख पीएम–किसान लाभार्थी सफलतापूर्वक किसान रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं।

ग्रामीण सेवा शिविरों, जन आधार के माध्यम से सत्यापन तथा कृषि पर्यवेक्षकों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ने के प्रयासों से किसान रजिस्ट्री के कार्य में तेजी आई है।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि कृषि विभाग की किसान–केंद्रित योजनाओं में किसान आईडी को प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में अपनाया जा चुका है। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि किसान हित से जुड़ी सभी योजनाओं में किसान आईडी के अनिवार्य उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कृषि स्टैक के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग के अधीन समर्पित कृषि स्टैक आयुक्तालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कृषि आयुक्त को कृषि स्टैक आयुक्त का दायित्व सौंपा जाएगा। इससे कृषि स्टैक से जुड़े विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसान रजिस्ट्री, डेटा एकीकरण एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन को एकीकृत दिशा मिलेगी।

बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सहकारिता विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित करने के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 26वीं किस्त से किसान आईडी को अनिवार्य किए जाने की दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सिस्टम और किसान रजिस्ट्री के बीच डेटा सिंक्रनाइजेशन का कार्य 31 अगस्त 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद निरंतर डेटा आदान–प्रदान की व्यवस्था विकसित की जाएगी तथा आरओआर सत्यापन मॉड्यूल लागू किया जाएगा।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक:3201 जाहिर आम-सूचना दिनांक:14.08.2026

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 115/65 (EWS), (एरिया 30.937 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री रजनी देवी पत्नी स्व. श्री किशनचन्द को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 3189 दिनांक 16.03.2000 को जारी किया गया। श्रीमती विशनी देवी पत्नी श्री खुबचन्द कुंदानी के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 3527/4269 दिनांक 23.01.2019 के द्वारा किया गया। श्रीमती विशनी देवी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 04.04. 2019 को उप पंजीयक-अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती विशनी देवी की मृत्यु दिनांक 06.03.2022 को हो जाने के कारण पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर इनके पुत्र श्री रमेश कुमार कुंदानी पुत्र स्व. श्री खूब चन्द कुंदानी द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री रमेश कुमार कुंदानी पुत्र स्व. श्री खूब चन्द कुंदानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-11/2026/डी-1376 दिनांक 14/8/2026

सार्वजनिक विज्ञप्ति

आवेदक मैसर्स श्रीराम फिनवेस्ट एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय सीताराम भवन, लोहा मण्डी, संसार चन्द्र रोड, जयपुर जरिये साझेदार श्री मनीष कुमार बागला पुत्र श्री प्रभुदयाल बागला द्वारा निजी खातेदारी की भूमि ग्राम जयसिंहपुरा बांस भांकरोटा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नंबर 1226/793, 1227/793 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2020 हैक्टेयर 90ए शुदा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पटटे का मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया था। जिसके क्रम में प्राधिकरण की बी.पी.सी (एल.पी) समिति की 314वीं बैठक दिनांक 10.02.2022 में आवेदित भूमि के लगते हुए स्थित मौके पर डामर से निर्मित रास्ता जो कि प्रश्नगत भूमि के उत्तरी पश्चिमी भाग में अनुमोदित सेलिब्रिटी होम्स योजना की पूर्व सीमा के समानान्तर 18.00 मीटर चौडी सडक प्रस्तावित करते हुये जोनल विकास योजना की 30 मीटर चोडी सड़क से मिलान किया जाने का निर्णय लिया गया है। यदि उक्त सडक मार्गाधिकार के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 10 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय जोन-11, जविप्रा में अपने दस्तावेजों सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहे। यह विज्ञपित आज दिनांक 14/8/2026 को जारी की गई है।

उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आम-सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री अशोक कुमार सैनी एवं श्रीमती सुमित्रा सैनी, निवासीयान प्लाट नं. 103, गणेशम टाउन, निवारू रोड़, लालचंदपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर ने अपने पुत्र श्री संदीप सैनी को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति एवं सभी नाते-रिश्तों से पृथक कर दिया है। आज के बाद श्री संदीप सैनी के साथ किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई लेन-देन, कहासुनी, वाद-विवाद, नाते-रिश्तेदारी इत्यादि सभी के जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। आज दिनांक के बाद मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
(रत्नेश यादव) एडवोकेट, मो.-9887066979

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100650 **लोक सूचना** दिनांक: 17.08.2026

श्रीमति KAILASHI DEVI पत्नी श्री HARINARAYAN, श्री HARINARAYAN CHOUDHARY पुत्र श्री HARI KISHAN CHOUDHARY जाति JAT निवासी KESAR NAGAR SUKHIYA TEH. SANGANER, MANSAROVAR, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	समर्पण क्षेत्रफल हैक्टे.
1	नेवटा, सांगानेर (जयपुर)	1.) कैलाशीदेवी पत्नि हरिनारायण हिस्सा 12/25 जाति जाट सा ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर खातेदार 2.) हरिनारायण पुत्र हरिकिशन हिस्सा 13/25 जाति जाट निकेश्वर नगर ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर खातेदार	2491/1	0.75	0.75
2	नेवटा, सांगानेर (जयपुर)	1.) हरिनारायण पुत्र हरिकिशन हिस्सा पूर्ण जाति जाट ग्राम सुखिया खातेदार	3251/2491	0.77	0.77
			कुल		1.52

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 - क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर 'विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।' Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17.08.2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11, जविप्रा, जयपुर

लाखों वीर-वीरांगनाओं ने शहादत देकर भारत को आजादी दिलवाई : स्वामी रामदेव

हरिद्वार। देश के80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि योगपीठ के परमाध्यक्ष व पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी महाराज तथा पतंजलि योगपीठ के महामंत्री एवं पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ–2स्थित योगभवन में ध्वजारोहण कर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दी।

स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण जी ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दी।

कार्यक्रम में स्वामी रामदेव जी ने कहा कि लाखों वीर–वीरांगनाओं ने शहादत देकर भारत माता को आजादी दिलवाई, अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश को सम्पूर्ण विश्व की श्रेष्ठतम आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए भूमिका निभाएँ। स्वामी जी ने कहा कि भारत के सभी नागरिक देश के संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय व आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करके इस तरह का आचरण करें कि भारत का नागरिक विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक बने। भारत की करेंसी विश्व की श्रेष्ठतम करेंसी हो। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था हो, भारत की शिक्षा व चिकित्सा व्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा व चिकित्सा व्यवस्था हो। भारत के लोगों की जीवन पद्धित व उनका चरित्र पूरे विश्व में आदर्श के रूप में जाना जाए। इसको कहते हैं एक भारत व श्रेष्ठ भारत का निर्माण। कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि जब तक हम अपनी शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति आदि व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार, अनाचार, दूराचार आदि विकृतियाँ समाप्त नहीं होंगी, पक्ष–विपक्ष में घमासान समाप्त नहीं होगा, छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे और बड़े छोटों की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तब तक देश की समृद्धि अवरूद्ध रहेगी और देश के विश्व गुरु बनने में बाधाएँ आएँगी। यदि हम सबको अपनी–अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाएँ तो निश्चित ही भारत बहुत जल्द विश्वगुरु बनेगा। कार्यक्रम में पतंजलि से सम्बद्ध सभी शिक्षण संस्थानों– पतंजलि गुरुकुलम्, आचार्यकुलम् तथा पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं तथा पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क लि. व पतंजलि फूड्स लि. के कर्मचारियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित गणमान्यों के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना का संचार किया।

Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
B-215 & B-216, "ARANYA BHAWAN" Jhalana Institutioanl Area, Jaipur-302004
Regional Office, Gandhinagar (Sub Regional Office-Jaipur)

Online Proposal No. : FP/RJ/RAIL/552879/2025 **Dated :- 29/06/2026**

To,
Additional Chief Secretary (Forest and Environment) Department of Forest and Wildlife
Government of Rajasthan, Vaniki Path, Near Secretariat Jaipur-302005 (Rajasthan)

Subject: Proposal for seeking approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 2.01 ha. of protected forest land in favour of Jaipur Metro Rail Corporation Limited for execution of the Jaipur Metro Phase-1C Project from Badi Chaupar to Transport Nagar at Jaipur, Rajasthan. (Online Proposal No. FP/RJ/RAIL/552879/2025).

Sir/Madam,

I am directed to refer the Govt. of Rajasthan, proposal No. FP/RI/RAIL/552879/2025 seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 on the above mentioned subject and to say that the proposal has been examined by the Advisory Committee, constituted under Section-3 of the said Adhiniyam. After careful examination of the proposal of the State Government & on the basis of the recommendations of the Advisory Committee and with due approval of the Competent Authority in the Ministry, the Central Government hereby accords 'in-principle/Stage-1' approval under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 2.01 ha. of protected forest land in favour of Jaipur Metro Rail Corporation Limited for execution of the Jaipur Metro Phase-IC Project from Badi Chaupar to Transport Nagar at Jaipur, Rajasthan subject to following conditions:-

1. General Conditions:- 1.1 Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged; 1.2 Compensatory afforestation over the non-forest land (2.01ha. of Non-Forest land of Village- Daulatpura Tehsil-Amber District- Jaipur) equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the project cost within two years from the date of grant of Stage- II approval; 1.3 The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearance; 1.4 The non-forest land shall be notified by the State Government as Protected forest under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section(s) of the local Forest Act, before et, before handing over the forest land to the user agency; 1.5 The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years; 1.6 The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard e-Payments; 1.7 At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India; 1.8 Compensatory levies, to be realized from the User agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/deposited, through e-payment, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA); 1.9 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required; 1.10 The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, cach inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar; 1.11 The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report; 1.12 No labour camp shall be established on the forest land; 1.13 The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas; 1.14 The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal; 1.15 The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government; 1.16 The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be The forest land proposed to be diverted transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government; 1.17 No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused; 1.18 The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department; 1.19 The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF; 1.20 The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project; 1.21 The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year; 1.22 Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife shall be carried out by the State Government and user agency; 1.23 The User Agency and the State Government shall comply all the provisions of all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project; 1.24 The KML files of proposed area for diversion and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details; 1.25 The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department; 1.26 The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly; 1.27 Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of Chapter 1 of the consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 29.12.2023; 1.28 The complete Compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in);
2. Standard conditions:- 2.1 The State Government shall ensure controlled speed limit if the trains passing through the forest portion to enable the trains drivers to react to the sudden appearance of the wild animals on the track. As and when required speed of train shall be regulated in consultation with Chief Wildlife Warden of the State Government; 2.2 The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals; 2.3 The reclamation of quarry, if any, should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed; 2.4 The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable; 2.5 If required, provision for construction of sufficient underpasses for safe crossing of animal shall be made in consultation with Chief Wildlife Warden; 2.6 The user agency shall carry out muck disposal, if any, at pre-designated sites; 2.7 The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report.
3. Specific Conditions:- 3.1 The Ministry has issued guidelines dated 21.01.2026 prescribing penal compensatory afforestation in cases where forest land has been used in violation of the provisions of the Adhiniyam. Accordingly, the State Government shall ensure compliance with the said guidelines and furnish details of the Net Present Value (NPV) or penal compensatory afforestation, as may be charged from the user agency, along with supporting documents such as the KML file, Compensatory Afforestation scheme, suitability certificate, etc. The compensatory levies corresponding to the penal CA shall be deposited in the account of the State CAMPA, and the same shall be duly intimated to the Ministry; 3.2 Penal compensatory afforestation, if proposed by the State Government, shall be verified by Regional Office, Gandhinagar and report shall be sent to the Ministry for examination along with CA details during submission of compliance report of Stage- I approval; 3.3 The User Agency shall pay five (5) times penal NPV for the extent of violation done plus 12 percent simple interest from the date of raising of such demand till the deposit is made by the User Agency; 3.4 The State Government shall initiate action /penal proceedings against the erring officials in accordance with the provisions of the section 3 A and 3 B of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980. The State Govt, shall submit action taken report with respect to 3A/3B violation alongwith Stage-1 compliance; 3.5 The State Government shall submit action taken report against the user agency alongwith Stage-I compliance.

After receipt of the compliance report on the fulfillment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Government in this regard.

Your's faithfully

(Aditi Bhardwaj)
Assistant Inspector General/Scientist,
MEF General of Forests (AIGF) Regional Office,
Gandhinagar MoEF&CC, Govt of India

Raj.Samwad/C/26/10121